विभागीय पत्रांक–2529 दिनांक 04.06.2012 द्वारा प्रकाशित सहायक अभियंता की औपबंधिक वरीयता सूची के विरूद्ध प्राप्त आपत्ति पत्र पर विभाग द्वारा लिए गए निर्णय संबंधी प्रतिवेदन

क्र०	आपत्ति देने वाले अभियंता का नाम / पदनाम / वर्तमान पदस्थापन	आपत्ति	विभागीय निर्णय
1	2	3	4
1.	श्री विजय कुमार पासवान, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), ग्रा० वि० वि० प्र०, चतरा श्री वैद्यनाथ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), ग्रा० वि० वि० प्र०, साहेबगंज श्री निताई नीरज, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), ल० सिं० प्र०, जमशेदपुर श्री सुरजन कपरदार, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), राँची नगर निगम, राँची श्री सुरेश राम, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), ल० सिं० प्र०, सिमडेगा श्री राजेन्द्र रविदास, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०–3, राँची श्री अखिलेश्वर राम, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), ल० सिं० प्र०, लातेहार	जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2380 दिनांक 13.06.07 द्वारा प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची के अनुरूप वरीयता यथावत् रखने हेतु।	श्री विजय कुमार पासवान एवं अन्य कनीय अभियंता कोटि से प्रोन्नत सहायक अभियंता है। विभागीय पत्रांक 2380 दिनांक 13.06.07 द्वारा प्रकाशित सहायक अभियंता की वरीयता सूची में वर्ष 95–97 तक में आरक्षित वर्ग के कनीय अभियंता से प्रोन्नत सहायक अभियंता को वर्ष 1995 में सीधे नियुक्त सहायक अभियंता से उपर रखा गया था। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद सं०–CWJC–5996/2002 में पारित न्याय निर्णय के तथा बिहार सरकार के तार्किक आदेश (पृ० 346/प०) के आलोक में की गयी थी। उपरांत उक्त न्यायनिर्णय के विरूद्ध दायर LPA में पारित न्याय निर्णय (263/प०) के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2008 में सहायक अभियंता की अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गयी जिसमें सीधी नियुक्ति से आये सहायक अभियंता को कनीय अभियंता से प्रोन्नत सहायक अभियंता को उपर रखा गया। उपरोक्त के आलोक में इनके आपत्ति को खारिज किया जाता है।
2.	श्री गोपाल राम रजक, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार), ग्रा० वि० वि० अंचल, पलामू श्री सोहन सेठ, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार), औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	वरीयता क्रमांक 751, 754, 755 का वरीयता क्रमांक 758 से नीचे करने के संबंध में।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5626 दिनांक 29.08.09 के आधार पर श्री गोपाल राम रजक एवं अन्य की आपत्ति को खारिज किया जाता है।
3.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद मंडल, सहायक अभियंता (चालू प्रभार), जल पथ प्रमंडल सं०–1, सिमडेगा	वरीयता सूची के क्रमांक 963 पर नाम अंकित करने हेतु	श्री मंडल, चालू प्रभार सहायक अभियंता अर्थात मूल रूप से कनीय अभियंता है। अतः इनका नाम सहायक अभियंता की वरीयता सूची में अंकित नही

			किया जा सकता है। इसी आधार पर इनके आवेदन को खारिज किया जाता है।
4.	श्री हेमन्त कुमार लोहानी, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, कार्यालय लघु सिंचाई, राँची	सेवानिवृति की तिथि 31.05.25 करने हेतु।	सेवा निवृति से संबंधित टंकण भूल में सुधार कर दिया गया है।
5.	श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग	वरीयता सूची के क्रमांक 773 के स्थान पर 764 अंकित करने हेतु	BPSC द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार 2001 में जल संसाधन, बिहार द्वारा अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी। उक्त वरीयता को अक्षुण्ण रखा गया है। इनके आपत्ति को खारिज किया जाता है।
6.	श्री भीम कुमार, कार्यपालक अभियंता	जन्मतिथि 05.01.71 के स्थान पर जन्मतिथि 05.06.71 करने हेतु	जन्मतिथि में टंकण भूल में सुधार कर दिया गया है।
7.	श्री राजेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची श्री मामुद्दीन अली, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची श्री अरूण कुमार राय, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची श्री मुक्ति साधन चौरसिया सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची श्री नागेन्द्र तिवारी, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची श्री मुकेश कुमार सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	AMIE कोटा से वर्ष 1987 में प्रोन्नत सहायक अभियंता से उपर वरीयता निर्धारित करने हेतु	AMIE कोटा के अन्तर्गत वर्ष 1987 में निर्गत प्रोन्नति की अधिसूचना कंडिका 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रोन्नत सहायक अभियंता वर्ष 1987 में सीधे नियुक्त सहायक अभियंता से वरीय होंगे। अतः इनके आपत्ति को खारिज किया जाता है।
8.	श्री राम निवास प्रसाद, सचिव (प्र०), (चालू प्रभार) मुख्य अभियंता कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर	सेवा निवृति की तिथि 31.03.29 के स्थान पर 31.05.29 करने हेतु।	इस टंकन भूल में सुधार कर दिया गया है।
9.	श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, ल० सि० विभाग, राँची।	वरीयता सूची में नाम अंकित करने हेतु	इनका नाम क्रमांक 955 एवं 956 के बीच में अंकित किया जाता है।
10.	श्रीमति उर्मिला भगत, सहायक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, राँची	जन्म तिथि 19.09.82 के स्थान पर 09.09.82 करने हेतु	इस टंकन भूल में सुधार कर दिया गया है।
11.	श्री राजेन्द्र राम गंझू, कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), ल० सि० प्रमण्डल, सरायकेला	जन्मतिथि 20.05.53 के स्थान पर 20.04.53 करने हेतु	इस टंकन भूल में सुधार कर दिया गया है।

D:\P.M\Noti 2529 date 21-03-13.doc

12.	श्री शिवनाथ प्रसाद गुप्ता, सहायक निदेशक क्रय एवं परिवहन, राँची	वरीयता सूची में अंकित नाम विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के स्थान पर शिवनाथ प्रसाद गुप्ता करने हेतु	इस टंकन भूल में सुधार कर दिया गया है।
13.	श्री प्रभात कुमार, पुर्नवास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची	जन्म तिथि 01.12.68 के स्थान पर 01.12.67 करने हेतु।	इस टंकन भूल में सुधार कर दिया गया है।
14.	श्री मणिकान्त सिन्हा, सहायक अभियंता, ग्रा० वि० प्र०, जामताड़ा	श्री चन्द्र नाथ झा, सहायक अभियंता एवं श्री भवानन्द मण्डल, सहायक अभियंता से उपर वरीयता अंकित करने हेतु	वाद सं०–CWJC–5025/88 WP(S)सं०–354/2003 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में वरीयता निर्धारित है। श्री मणिकान्त सिन्हा के आपत्ति को खारिज किया जाता है।
15.	श्री सुनील कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार), सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर	नाम श्री सुनील कुमार सिंह के स्थान पर सुनील कुमार सिन्हा करने हेतु	नाम मे सुधार कर दिया गया है।
16.	श्री अमित कुमार प्राक्कलन पदाधिकारी खरकई बाँध प्रमंडल सं०–1, मुसाबनी	वरीयता क्रमांक 1002 के स्थान पर क्रमांक 997 करने हेतु	JPSC की योग्यता सूची के अनुरूप श्री अमित कुमार की वरीयता में सुधार कर दिया गया है।
17.	श्री जयदेव पंडित, सहायक अभियंता, ल० सिं० अ० प्र० सं०–1, मानगो, जमशेदपुर	वर्ष 1989 में सीधे नियुक्त सहायक अभियंता से वरीय रखने हेतु	CWJC सं०–5996/2002 में पारित न्याय निर्णय के अनुसार श्री पंडित को सीधे नियुक्त सहायक अभियंता से नीचे रखा गया है। श्री पंडित की आपत्ति को खारिज किया जाता है।
18.	श्री शम्भु शरण सिंह, सहायक अभियंता, ल० सिं० रू० प्र०, दुमका शिविर देवघर	वरीयता सूची में नाम अंकित करने हेतु	इन्हें मेधा क्रमानुसार सूची में 977 से 978 के बीच इनका नाम अंकित कर दिया गया है।
19.	श्री आलोक कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर	वरीयता सूची में गृह जिला जमशेदपुर के स्थान पर सरायकेला खरसावाँ करने हेतु	गृह जिला सरायकेला खरसावाँ अंकित कर दिया गया है।
20.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ल० सिं० प्र0, राँची श्री संजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गालूडीह दायाँ नहर प्र० सं०–1, मुसाबनी शि० गालूडीह	वरीयता सूची में नाम श्री भीम सिंह एवं श्री ब्रजेन्द्र किशोर वर्मा उपर रखने हेतु	AMIE के वरीयता पैनेल के अनुरूप सुधार कर दिया गया है।
21.	श्री प्रमोद कुमार पंकज, सहायक अभियंता, कोनार प्रमंडल, डुमरी, श्री लक्ष्मी नारयण लाल, सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान	अपनी वरीयता श्री लक्ष्मी नारायण (क्र० 833 के उपर रखने हेतु	आपत्तिकर्त्ताओं के मामले को अलग संचिका के माध्यम से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को परामर्श हेतु भेजा गया है। प्राप्त परामर्श के अनुरूप

	अंचल–1, राँची श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रा० वि० वि० प्र०, लोहरदगा		अलग से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
22.	श्री ब्रजमोहन कुमार, मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) चांडिल कम्पलेक्स, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर	चूँकि श्री ब्रजमोहन कुमार, नियमित कार्यपालक अभियंता है अतः इसी आधार पर उन्होनें सहायक अभियंता की वरीयता सूची से अपना नाम हटाने हेतु आपत्ति की है।	विभाग द्वारा प्रकाशित सहायक अभियंता की औपबन्धिक वरीयता सूची चूँकि सहायक अभियंता की मूल कोटि की वरीयता सूची है इसलिए इसमें सहायक अभियंता एवं सहायक अभियंता से प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता इत्यादि सभी का नाम मूल वरीयता के क्रम में अंकित है। इस आधार पर श्री ब्रजमोहन कुमार की आपत्ति को खारिज किया जाता है।

ह०/–

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग,झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः– 1977 राँची, दिनांक :– 2-4-13

प्रतिलिपिः–संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब इन्फॅारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/4/13

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)

1/4/13

D:\P.M\Noti 2529 date 21-03-13.doc